<u>बिहार सरकार</u>
<u>पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग</u>

ज्ञाप सं0–पि0व0 / छात्रवृत्ति–55–01 / 2010– पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में ''मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना'' के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र / छात्रा ₹10,000 / – (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्ति देने हेतु कुल ₹1802.20 लाख (रूपये अठारह करोड़ दो लाख बीस हजार) मात्र मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–26 दिनांक–29.07.15 एवं आवंटनादेश संख्या–27 दिनांक–29.07.15 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को प्रति छात्र / छात्रा ₹10,000 / – (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में प्रदान के निमित कुल ₹5000.20 लाख (रूपये पचास करोड़ बीस हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनः बजट उपबंधित कुल ₹1802.20 लाख (रूपये अठारह करोड़ दो लाख बीस हजार) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्यय व्ययक शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101–शिक्षा के कूट संख्या–3401 छात्रवृत्ति / वजीफा, राज्य योजना स्कीम कोड–BCW-5461 विपत्र कोड–P2225032770101'' के अधीन कुल बजट प्रावधान ₹1802.20 लाख (रूपये अठारह करोड़ दो लाख बीस हजार) मात्र से विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे।

4– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित छात्र / छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र / छात्रा, जो वर्ष 2015 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र के जाँचोंपरान्त उचित पहचान कर एकमुश्त राशि ₹10,000 / – (रूपये दस हजार) मात्र का भुगतान खाता भुगतेय बैंक ड्राफ्ट / चेक / e-Z Pay Card के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी / भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

कृ0पृ0उ0

6– राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री की सहमति प्राप्त है।

8– इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु0– **यथोपरि।**

ह0/–
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–55–01/2010– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के निजी सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–55–01/2010–35 पटना, दिनांक–23-12-15

प्रतिलिपि–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/2015
सरकार के सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वर्ष 2015 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यन्त पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं की जिलावार स्वीकृत राशि की विवरणीः-

क्र0	जिला का नाम	रौल कोड	छात्र/छात्राओं की संख्या	पूर्व में स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	पटना	71001	3249	23900000	8590000
2	नालंदा	72001	2754	20200000	7340000
3	रोहतास	74001	2259	16600000	5990000
4	भभुआ	76001	614	4500000	1640000
5	भोजपुर	73001	2131	15630000	5680000
6	बक्सर	75001	637	4680000	1690000
7	गया	81001	2509	18400000	6690000
8	जहानाबाद	84001	672	4940000	1780000
9	अरवल	85001	1443	10600000	3830000
10	नवादा	82001	3425	25150000	9100000
11	औरंगाबाद	83001	2605	19100000	6950000
12	सारण	91001	3041	22300000	8110000
13	सिवान	92001	1510	11100000	4000000
14	गोपालगंज	93001	1026	7500000	2760000
15	मुजफ्फरपुर	51001	1009	7400000	2690000
16	सीतामढ़ी	52001	1250	9150000	3350000
17	शिवहर	56001	238	1700000	680000
18	प0 चम्पारण	54001	1566	11500000	4160000
19	पू0 चम्पारण	55001	1727	12600000	4670000
20	वैशाली	53001	2738	20100000	7280000
21	दरभंगा	61001	1199	8800000	3190000
22	मधुबनी	62001	2916	21200000	7960000
23	समस्तीपुर	63001	2787	20400000	7470000
24	सहरसा	41001	1102	8000000	3020000
25	सुपौल	42001	786	5700000	2160000
26	मधेपुरा	43001	998	7300000	2680000
27	पूर्णिया	11001	1156	11580000	0
28	अररिया	12001	1101	8090000	2920000
29	किशनगंज	13001	321	2300000	910000
30	कटिहार	14001	1087	7900000	2970000
31	भागलपुर	31001	2585	18000000	7850000
32	बाँका	32001	984	7200000	2640000
33	मुंगेर	21001	2249	16500000	5990000
34	लखीसराय	23001	2545	18500000	6950000
35	शेखपुरा	24001	1022	7500000	2720000
36	जमुई	22001	1593	11500000	4430000
37	खगड़िया	25001	2819	20500000	7690000
38	बेगूसराय	26001	4369	32000000	11690000
	कुल योग		**68022**	**500020000**	**180220000**

(रूपये अठारह करोड़ दो लाख बीस हजार) मात्र

पत्रांक- 35 दिनांक- 23-12-15 का अनुलग्नक।

सरकार के सचिव।

I:\dist wise briefing matric

Sheet19